

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2020 (निगरानी पंचायत)

GCMS No: 2020/00019

अनवान

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायरा, जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री गोविंद सिंह पिता नैन सिंह, निवासी, गांव पदराड़ा, पंचायत समिति सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)। हाल निवासी-ग्राम खिनदारा वाया पालना, तहसील सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)।
2. ग्राम पंचायत पदराड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पदराड़ा, पंचायत समिति सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा (उपतहसील सायरा), जिला उदयपुर (राज.)।

– विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

**निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 23.03.2006
(पट्टा संख्या 00870 दिनांक 23.03.2006)**

* निर्णय *

दिनांक- 16-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायरा द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत पदराड़ा, पंचायत समिति सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 23.03.2006 को राजस्व ग्राम पदराड़ा की आराजी संख्या 4192, 4446 एवं 4547 मे विपक्षी संख्या 1 गोविंद सिंह पिता नैन सिंह को राशि 500/- मे आबादी भूमि का विक्रयनामा अपने संकल्प संख्या 2 दिनांक 23.03.2006 के अनुसरण मे निष्पादित कर दिया। ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा निष्पादित उक्त पट्टा विलेख विधि के अग्रेषण मे धारण योग्य नहीं है। उक्त विक्रयनामा मे आराजी संख्या अंकित नहीं है, न विक्रित भूखण्ड का क्रमांक अंकित हैं। उक्त आराजी विपक्षी संख्या 2 के खाते मे दर्ज न होने से पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं 1996 के

नियम 140 से 156 की पूर्ण पालना न होने से कथित पट्टा विधि विरुद्ध हैं। उक्त आराजी जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश से जरिये नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 29.05.2006 से राजस्व रेकॉर्ड में विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज हुई हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक से पूर्व विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैध हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी कराये गये पट्टे के संबंध में जिला परिषद उदयपुर द्वारा जांच करायी जाने पर उनके द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायरा, जिला उदयपुर को पत्र प्रेषित कर उक्त भू खण्ड का विक्रयनामा निरस्त कराये जाने बाबत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी जिसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्व ग्राम पदराड़ा के निवासी नहीं है एवं पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं। पट्टों की पत्रावलियों पर न तो दर्ज क्रमांक अंकित है, न पंजीयन क्रमांक अंकित है एवं न ही पट्टा जारी करने के संबंध में कोरम की बैठक तथा कोरम में उपस्थित सदस्यों एवं अन्य के औपचारिक हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 द्वारा की गई पट्टा जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाविहीन हैं। उक्त पट्टे राशि 500/- लेकर जारी किये गये हैं। पट्टे में कई स्थान रिक्त हैं। इस प्रकार पट्टा विधि विरुद्ध जारी होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी कथित पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रकरण में जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। मामले में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब विपक्षी संख्या 1 अप्राप्त रहने से जवाब बंद किया गया। मामले में ग्राम पंचायत पदराड़ा से मूल पत्रावली तलब की जाकर बहस हेतु सुनवाई तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुए निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में नियम विरुद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करना, पट्टा डी.एल.सी. से भी कम दर पर दिया जाना, राजस्व हानि होना, कथित आराजी तत्समय ग्राम पंचायत के स्वामित्व में न होना, नियम 140 से 156 की पालना न होना, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा जांच में उक्त पट्टा विधि विरुद्ध पाये जाना, पट्टा जारी करते समय भूमि बिलानाम सरकार होने से क्षेत्राधिकारिता से परे पट्टा जारी करना, विपक्षी संख्या 1 का स्थानीय निवासी न होना, पट्टाधारक का भूमिहीन न

होना, पट्टे एवं पट्टे की पत्रावली में कई कॉलम जैसे प्लॉट संख्या, आराजी संख्या, पड़ोस, दिशा आदि रिक्त होना, समस्त कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित होना, पट्टवारी की रिपोर्ट अथवा हस्ताक्षर न होना, अधिकारी का दुरुपयोग करना अवगत कराया तथा अनुरोध किया कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार भी 100रु. से अधिक के क्रय विक्रय का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, जिसकी पालना भी प्रकरण में न होने से कथित पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अनुरोध किया कि निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा पूर्णतया विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टे के संबंध में नियमानुसार शुल्क जमा कराया है। पट्टा 3 प्रति में जारी किया जाता है, जिसकी एक प्रति हितधारी के पास, दूसरी ग्राम पंचायत के पास एवं तीसरी प्रति पंचायत समिति के पास उपलब्ध रहती है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता विकास अधिकारी को प्रारंभ से है। पंचायत समिति सायरा स्वयं अपीलिय न्यायालय है। उक्त निगरानी पट्टा जारी होने के लगभग 14 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है एवं विलम्ब का कोई समुचित कारण निगरानीकर्ता द्वारा नहीं बताया गया है। विपक्षी संख्या 1 पट्टा प्राप्त करने हेतु पूर्णतया पात्र है। पट्टा जारी करने में किस नियम का उल्लंघन हुआ है, इसका उल्लेख निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। दिनांक 10.07.1989 को उप जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को बिलानाम से आबादी करने का आदेश दिया गया था। आबादी की भूमि से विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर मौजूद हैं। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 43 के अनुसार दस्तावेज ग्राम पंचायत के स्वामित्व में वर्ष 1989 में आ चुका था। ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा जारी शेष पट्टों में भी कॉलम रिक्त है। जिस दिन विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी हुआ है, उसी दिवस को अन्य व्यक्तियों को भी पट्टा जारी किया गया है। यह पट्टा निःशुल्क जारी नहीं हुआ है, बल्कि भूमि विक्रित की गई है। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में यदि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा कोई कॉलम त्रुटिवश रिक्त छोड़ भी दिये है, तो इसके लिये विपक्षी संख्या 1 उत्तरदायी नहीं है। राजनैतिक द्वेषतावश उक्त निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इतने लम्बे समय के उपरान्त पट्टा खारिज कर विपक्षी संख्या 1 को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कॉज ऑफ एक्शन बाद की दिनांक का नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत पदराड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी

पट्टा पूर्णतया विधिनुकूल होने से यथावत रखा जावे एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये—

- आर.आर.टी. 2002(1) पृष्ठ 434 (राज.)
- आर.आर.टी. 2015(2) पृष्ठ 967
- डी.एन.जे. 2016(1) पृष्ठ 201 (राज.)
- आर.आर.टी. 2015(1) पृष्ठ 435
- आर.आर.टी. 2009(2) पृष्ठ 1034
- आर.आर.टी. 2009(2) पृष्ठ 1179

हमने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत पदराड़ा से प्राप्त मूल पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा संख्या 00870 दिनांक 23.03.2006 को जारी किया गया है, जिसे विधि विरुद्ध बताते हुए कथित पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, प.स. सायरा द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। कथित पट्टे की पत्रावली में आवेदनकर्ता का आवेदन सलंगन नहीं है, न ही पत्रावली पर दायर संख्या, दिनांक दायर, दिनांक फैसला आदि अंकित है। ग्राम पंचायत पदराड़ा की आदेशिका पर भी दिनांकवार सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर का अभाव होकर मात्र 23.03.2006 की आदेशिका पर सरपंच एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है, जिससे आदेशिका एक ही दिवस को लिखी जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 06.03.2006 में पटवारी हल्का से जानकारी लिये जाने बाबत लिखा गया है, किन्तु पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण पत्रावली पर पटवारी हल्का के कोई हस्ताक्षर या रिपोर्ट भी मौजूद नहीं है। वार्ड पंचो की कमेटी रिपोर्ट में पट्टे के आकार का उल्लेख नहीं किया गया है एवं पड़ोस के कॉलम भी रिक्त है। अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी दिनांक का अभाव है। विपक्षी संख्या 1 संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी भी नहीं है। नियम 156(2) में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आबादी भूमि उपरजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत के नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 167, राजस्थान पंचायतों राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 141 से 154 तथा 166 की पालना भी नहीं की गई है। पट्टे का गंभीरता से अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि पट्टे पर आराजी संख्या अंकित नहीं है, न ही

रसीद की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद हैं। कथित भूमि पट्टा जारी करते समय विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज हो ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 1, 2 अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता का कथन है कि निगरानी मयाद बाहर पेश की गई है, किन्तु यह विधि का सिद्धान्त है कि गैर कानूनी एवं अवैध आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। उप जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 10.07.1989 को उक्त भूमि को आबादी दर्ज करने का आदेश विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अवश्य प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त आदेश सक्षम स्तर से प्रमाणित नहीं है एवं उक्त आदेश के नीचे साबिक आराजी संख्या 1907 का नया नम्बर 4192/1 बने होने का उल्लेख है, जबकि सलग्न प्रस्तुत मिलान खसरे की अप्रमाणित छायाप्रति में आराजी संख्या 1907 के नवीन नम्बर 4445, 4446, 4447 एवं 4192 बने होना पाया गया है, जो कि विरोधाभासी हैं। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उसे भूमि विक्रित की गई है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार भी 100रु. से अधिक के क्रय विक्रय का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को विधिमान्य नहीं माना जा सकता है एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा न होने से उक्त पट्टा प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। चूंकि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायरा द्वारा प्रकरण में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.05.2006 को नामान्तरकरण संख्या 505 से भूमि ग्राम पंचायत पदराड़ा के नाम पर दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टा प्राप्त करने के पात्र हो तो ग्राम पंचायत नवीन सिरे से आवेदन प्राप्त कर पूर्णतया विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पट्टा जारी करने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत पदराड़ा, जिला उदयपुर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 00870 निरस्त किया जाता है एवं यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टा प्राप्त करने के पात्र हो तो नवीन सिरे से आवेदन कर, जिस पर ग्राम पंचायत पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर